

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्रमांक 2815 / आर-74 / 2017 / 2 / 34

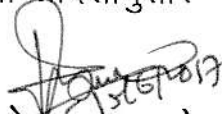
भोपाल, दिनांक 15 JUN 2017

आदेश

राज्य शासन एतद् द्वारा निर्माण कार्य से भिन्न श्रेणी के कार्यों जैसे कि कंसल्टेंट/कंसल्टेंट फर्म, रजिस्ट्रीविटी सर्वे कार्य, यील्ड टेस्ट, मोटर पंप रिपेयरिंग, निरीक्षण वाहन हेतु निजी वाहनों को भाड़े पर लिया जाना, वाहन/उपकरण का संधारण/मरम्मत कार्य, तथा मानव संसाधन उपलब्ध कराने आदि के कार्य हेतु विभाग में लागू अपेंडिक्स 2.10 पर आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाकारों को लोक निर्माण विभाग की केन्द्रीयकृत प्रणाली में ठेकेदार के रूप में पंजीयन की अनिवार्यता की शर्त को शिथिल करता है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(राजेश शाक्यवार)

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ. क्रमांक 2816 / आर-74 / 2017 / 2 / 34
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक

15 JUN 2017

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग।
2. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, म.प्र.भोपाल।
3. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, परिक्षेत्र भोपाल/इंदौर/जबलपुर / ग्वालियर/वि.यां.भोपाल।
4. समस्त अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मण्डल म.प्र.।
5. समस्त कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खंड म.प्र.।


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग